(3)

area recorded as forests in the Government record irrespective of its ownership."

इस प्रकार उपरोक्त आदेश के आलोक में कोई भी वन भूमि पर गैर वाणिकी कार्य नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा दाग सं0 375 में की गई बंदोवस्ती से संबधित सभी प्रकार के पारित आदेश को विलोपित किया जाता है।

इसकी सूचना वन विभाग को भी दी जाय ताकि उनके द्वारा इस पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा सके।

यह आदेश रे0मि0 पिटोसन 02/13-14 में भी लागू होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

D. No. 236
18/6/16

Note

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 03/14–15

सुखेन्दू लायक.....अपीलकर्ता

बनाम

बरूण कुमार दास.....उत्तरकारी

आदेश

06/05/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 03/14–15 सुखेन्दू लायक बनाम बरूण कुमार दास के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 74/13–14 में पारित आदेश दिनांक 27.01.14 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें उत्तरकारी द्वारा मौजा बन्दरजोरी के दाग सं0 375 में 14 बीघा 13 कट्ठा 18 धुर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 314/53–54 में प्राप्त बन्दोबस्ती जमीन का सीमांकन कोर्ट अमीन के द्वारा कराया गया है।

इसी प्रकार अपीलकर्ता/आवेदक द्वारा दायर रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 02/13–14 में उसी बन्दोबस्ती वाद सं0 314/53–54 में पारित आदेश दिनांक 01.06.1955 के अनुसार विपक्षी को लगान रसीद निर्गत करने के विरूद्ध में दायर किया गया है। इस पर अपर समाहर्त्ता, दुमका से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अपर समाहर्त्ता, दुमका के पत्रांक 1079/रा0 दिनांक 13.09.13 द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में कोर्ट अमीन द्वारा समर्पित सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित दाग सं0 375 **"राखा जंगल"** बोलकर गत सर्वे सेटेलमेंट जमाबंदी नं0 76 में दर्ज है। उक्त जमीन का सीमांकन के समय वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न तो मौजा के 16/– रैयतों को भी ढोल सोहरत के साथ विधिवत नोटिस का तामिला करवाया गया है जो सं0प0 कास्तकारी अधिनियम 1950 के नियम 9 के अनुकूल नहीं है। यह जमीन सर्वे खतियान में **"राखा जंगल"** बोलकर दर्ज है। मंत्रालय वन एवं पर्यावरण भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2005 को निर्गत पत्र जो प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण झारखण्ड रांची के ज्ञापांक 1136/राँची दिनांक 17.03.05 द्वारा प्रेषित है में उल्लेख है कि "As such the legal status of any land recorded as forests of "jungle jhar" in revenue records cannot be changed without the prior approval of the Central Government as per the Provision of Forest (Conservation) Act 1980

In this connection, It is further mentioned that the Supreme Court vide its order dated 12.12.1996 has also clarified that the provisions made in the Forest (Conservation) Act, 1980 apply to all forests irrespective of the nature of ownership or classification thereof. The term forest land as mentioned in the Section-2 of the Act includes any